



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबसाइट- www.snpv.ac.in

क्रमांक. 2-3-4-4-1/विधि/2021/483

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

// अधिसूचना //

--00--

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विधि संकाय के अंतर्गत विधि अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. आभा सिन्हा, सहा.प्राध्यापक, शास.टी.सी.एल स्नातकोत्तर महा. जिला-जाँजगीर चाँपा
2. रिक्त

धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (चार) 1. डॉ. भवानी प्रसाद यादव, सहा.प्राध्यापक, शास.पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय
जिला-रायगढ़

2. डॉ. डी.के. मिश्रा, सहा.प्राध्यापक, एस.बी.के.पी.लॉ. महाविद्यालय जिला-रायगढ़


धारा 28 (2) (पाँच) 1. श्री जी.एन.सिंह, शास.टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिला-जाँजगीर चाँपा

2. श्री प्रदीप शर्मा, सहा.प्राध्यापक, शास.पी.डी. महाविद्यालय जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. श्रीमती आभा सिन्हा, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार


(कृष्ण कुमार चंद्राकर)
कुलसचिव


पृ.क्रं. 2-3-4-4-1/विधि/2021/484

प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

01. माननीय कुलाधिपति महोदय को सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य को सूचनार्थ।


उप-कुलसचिव (अकादमी)


26.07.2021